न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/93
प्रकरण संख्या 53/22

अनवान

1. श्री गणपत सिंह पिता भभुतसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री गिरवर सिंह पिता भभुतसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री शम्भु सिंह पिता भभुतसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्री हडमत सिंह पिता भभुतसिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जागीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री भवंर सिंह पिता केसर सिंह राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री हिम्मत सिंह पिता नारायण सिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जांगीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री गटुसिंह पिता भवंर सिंह राजपुत निवासी अमरपुरा जांगीर तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
4. श्री ईश्वर सिंह पिता कालु सिंह राजपुत निवासी संग्रामपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

..........विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री श्रवण कुमार पोखरना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक :— 04.04.2023

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा अमरपुरा जागींर पटवार मण्डल अमरपुरा जागींर तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई आराजी नम्बर नया 23, 24, 30, 36 कुल किता 4 रकबा 0.6500 हैक्टेयर स्थित होकर उक्त भूमि वर्तमान भू राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2078—81 में प्रार्थीगण के नाम 1/4, 1/4 हक हिस्से में खातेदारी हक के अंकन से चली आ रही हैं। उक्त भूमि मौके पर एक ही चक में है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के पड़ोसी काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं है। सीमांकन पक्का पुख्ता नहीं होने से जमीन की सीमा को लेकर आए दिन पक्षकारान के मध्य विवाद होता रहता

है। लडाई झगडे की संभावना बनी रहती है जिससे प्रार्थीगण की भूमि में पक्षकारान की उपस्थिति में पक्की पत्थरगढी कराई जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी नंबर 23, 24, 30, 36 कुल किता 4 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कि जरिये तहसीलदार कानोड से भूमि की नपती करा पक्का पुख्ता सिमांकन कराये जाने निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहें है। विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिऐ गये। विपक्षी संख्या 4 बावजूद सुचना के अनुपस्थित है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण अपनी प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विकास करना चाहते है। प्रार्थीगणएवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि में विकास करने में असुविधा हो रही है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है मौजा अमरपुरा जागींर पटवार मण्डल अमरपुरा (जागींर) तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई खाता संख्या नया 155 की आराजी नम्बर 23, 24, 30, 36 कुल किता 4 रकबा 0.6500 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि [illegible] पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। [illegible] को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर [illegible] का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:51:08 IST
Reason: SelfAttested